

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार के माह 04/2013 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सुधीर कुमार तथा श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.2017 से 21.01.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मक: इस इकाई की डी0डी0ओ0 बनने के पश्चात यह प्रथम लेखापरीक्षा है। इसकी पूर्व में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर, गढ़वाल में 05/2013 से 03/2013 तक में सम्पादित की जा चुकी है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 05/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:- रामनगर, नैनीताल जनपद एवं अन्य क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न प्रकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं इससे संबन्धित सेवाएँ उपलब्ध करना।
3. (i) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् है:

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (-)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय ₹		
2013-14	0	0	50.88	36.62	0	0		14.27 सम
2014-15	0	0	38.80	35.81	0	0		2.99 सम
2015-16	0	0	41.81	34.11	0	0		7.70 सम
2016-17 (Up to Sep. 2016)	0	0	79.12	28.72	0	0		50.40

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+) / बचत (-)
2013-14	पी.पी.पी. मोड	250	--	0.30	249.63
2014-15	पी.पी.पी. मोड	249.63	--	--	249.63

2015-16	पी.पी.पी. मोड	249.63	--	--	249.63
2016-17 (Up to Nov. 2016)	पी.पी.पी. मोड	249.63	--	--	

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड से प्राप्त होते हैं। विभाग के संगठनात्मक ढांचे की स्थिति संलग्न है।

(iv) लेखापरीक्षा की कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-तीन

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या	STAN
--	प्रथम लेखापरीक्षा	--	

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिसातारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर पनी टीका सहित भाग-तीन के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-दीन में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-तीन में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिसातारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-दो (अ)

प्रस्तर:1 धनराशि ₹ 346.16 लाख अवरुद्ध रखना।

धनराशि ₹ 346.16 लाख को अवरुद्ध रखे जाने से योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रहना।

केन्द्र सरकार योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 देश में 1896 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन किया जाना था तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से शेष 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन किया जाना था। जिसके लिए 3665 करोड़ के कुल परिव्यय (2.5 करोड़ रुपए प्रति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु 3490 करोड़ रुपए तथा योजना के प्रबन्धन प्रबोधन और मूल्यांकन हेतु 175 करोड़ रुपए) के साथ योजना तैयार की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण की रूपरेखा तथा सुपुर्दगी को और अधिक मांग आधारित बनाकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से निकलने वाले स्नातकों की रोजगारपरकता में सुधार लाना था।

केन्द्र सरकार द्वारा संस्थान प्रबंधन समिति को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन हेतु प्रत्यक्ष से 2.5 करोड़ रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया गया। ऋण की अदायगी हेतु 10 वर्ष का ऋण-स्थगन काल है। ऋण स्थगन काल के उपरांत संस्थान प्रबंधन समिति द्वारा ऋण का भुगतान 20 वर्षों की अवधि में एक समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। प्रश्नगत योजना के निष्पादन हेतु पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2011-12 में मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, रीजनल सेल्स आफिसर मोहब्बेवाला इंडस्ट्रीयल एरिया सहारनपुर रोड, देहरादून को चयनित किया गया था।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार के लेखा अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इंडस्ट्री पार्टनर मै. टाटा मोटर्स लि. सेल्स डिवीजन देहरादून द्वारा उक्त कार्य में रूचि नहीं

ली गयी एवं अपग्रेडेशन संबंधी कार्य लंबित रखे गए। साथ ही उक्त धनराशि में से 2.25 करोड़ की धनराशि को यूनियन बैंक कोटद्वार की शाखा में 01/06/2012 को एफडी (Fix Deposit) के रूप में जमा कर दिया गया। शेष धनराशि ₹ 25 लाख को बचत खाते में रखा गया। प्रगति रिपोर्ट मार्च 2016 के अनुसार प्रबंधन समिति के खाते में ब्याज सहित अवशेष धनराशि ₹ 3,46,15,584.50 थी।

भारत सरकार के पत्र संख्या DGET-35(1396)/Guideline/2014-NIC/ दिनांक 21/07/2014 के द्वारा संस्थाओं को यह निर्देशित किया गया कि वर्ष 2015-16 के अन्त तक व्यय करने के पश्चात संस्थान की प्रबंधन समिति के खाते में ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि अवशेष रहनी चाहिए। जबकि संस्थान की प्रबंधन समिति द्वारा सम्प्रेक्षा अवधि (12/2016) तक योजनांतर्गत मात्र ₹ 0.37 लाख की धनराशि को ही व्यय किया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार का उन्नयन नहीं किए जाने के कारण, इस परिक्षेत्र में रहने वाले युवाओं को इसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सका, जिसके लिए इस क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को शहर से बाहर जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, भारत सरकार द्वारा संचालित उक्त योजना के असफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप ₹ 250.00 लाख की धनराशि विगत चार वर्षों से अधिक समय से न केवल अनावश्यक रूप से अवरुद्ध थी अपितु योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी। सम्प्रेक्षा तिथि तक उस पर कुल ₹ 96.16 लाख का ब्याज अर्जित हो चुका था इस प्रकार धनराशि ₹ 346.16 लाख को अवरुद्ध रखा गया।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि इस योजना के अन्तर्गत चयनित इंडस्ट्री पार्टनर द्वारा रुचि न लिए जाने के कारण अपग्रेडेशन संबंधी समस्त कार्यवाही लम्बित है। समिति के रजिस्ट्रेशन की वैधता दिनांक 20/10/2016 थी जिसके नवीनीकरण की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में विभाग के पास 346.16 लाख की धनराशि ब्याज सहित अवशेष है। सचिव महोदय इंडस्ट्री पार्टनर बदलने का निर्देश दिया गया है। जिसके क्रम भारत इलेक्ट्रानिक्स कोटद्वार को नए इंडस्ट्री पार्टनर बनाए जाने के लिए पत्राचार किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग ने इस संबंध में सम्प्रेक्षा तिथि तक न तो कोई ठोस कार्यवाही की थी और न ही इंडस्ट्री पार्टनर बदलने के लिए कोई सार्थक प्रयास किया गया था। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार का उन्नयन नहीं किए जाने के कारण, इस परिक्षेत्र में रहने वाले युवाओं को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो सका, भारत सरकार द्वारा संचालित उक्त योजना के असफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप ₹ 250.00 लाख की धनराशि विगत चार वर्षों से अधिक समय से न केवल अनावश्यक रूप से अवरुद्ध थी अपितु योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी।

अतः धनराशि ₹ 346.16 लाख को अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-पाँच
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:- शून्य
3. सतत् अनियमितताएं:- शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1	स्व. श्री सी.एम. बहुगुणा	प्रधानाचार्य	22/08/2012 से 22/06/2013
2	श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य	24/06/2013 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.